

**कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चम्पावत।**

संख्या 421/जि0अधि0/व्यवस्थापन/2023-24/चम्पावत दिनांक 13 मार्च, 2024

**विज्ञप्ति**

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुसूचक की अधिसूचना संख्या 148 (1)/XXIII-1/ 2024-04(01)/ 2024 देहरादून दिनांक: 21, फरवरी, 2024 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) हेतु घोषित उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जनपद चम्पावत की नवीनीकरण के प्रक्रिया के पश्चात अवशेष मदिरा 02 देशी एवं 04 विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लाटरी के माध्यम से किया जाना है। उक्त के क्रम में कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या: 26182//सात लाई0-47/आबकारी नीति-2024 देहरादून/दिनांक 11.03.2024 के द्वारा अवशेष मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु लाटरी की समय सारिणी निम्नवत् है:-

01	प्रथम चरण	लाटरी हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 14.03.2024
		लाटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय	दिनांक 16.03.2024 के सांय 05:00 वजे तक

जनपद चम्पावत की अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों का विवरण निम्नवत् है:-  
जिनका राजस्व विवरण निम्नवत् है।

क्र0 सं0	मदिरा दुकान का नाम	प्रस्तावित मदिरा उप दुकान का नाम	प्रकार	निर्धारित राजस्व	निर्धारित लाईसेंस फीस	वार्षिक अधिभार	प्रथम प्रतिभूति	धरोहर धनराशि (कुल राजस्व का 2.5 प्रतिशत)	हैसियत धनराशि (कुल राजस्व का 15 प्रतिशत)
1	चम्पावत	1. अमोड़ी 2. मंच	विदेशी	109204863	1092000	108112863	9009405	2730122	16380729
2	बनबसा	1. एन0एच0पी0सी0 रोड	विदेशी	44528000	445000	44083000	3673583	1113200	6679200
3	टनकपुर	1. पिथौरागढ़ चुंगी	विदेशी	92020500	920000	91100500	7591708	2300513	13803075
4	पाटी	1. कुल्याल गांव	विदेशी	40367415	404000	39963415	3330285	1009185	6055112
5	लोहाघाट	1-घाट -पनार रोड	देशी	77112683	771000	76341683	6361807	1927817	11566902
6	बनबसा	1. एन0एच0पी0सी0 रोड	देशी	44871290	449000	44422290	3701857	1121782	6730693

उक्तानुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के साथ धरोहर धनराशि (कुल राजस्व के 2.5 प्रतिशत के बराबर) का बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में, आयकर लेखा (चाछ) व आधार कार्ड की स्वसत्यापित छायाप्रति, 10 करोड़ या अधिक राजस्व के लिए न्यूनतम वार्षिक आय 7 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकानों के लिए न्यूनतम वार्षिक आय 5 लाख का विगत 02 वर्ष की आईटी0आर0 प्रमाण पत्र, स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र (कुल राजस्व के 15 प्रतिशत के बराबर प्रारूप जी0-39 में) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रक्रिया शुल्क रु 65,000/- का ड्राफ्ट (अप्रतिदेय) जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में देय मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी भी अधिसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन को-ऑपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार किये गये बैंक ड्राफ्ट जो कि जिला आबकारी अधिकारी, चम्पावत के नाम से देय हो, सम्बन्धित प्रक्रिया शुल्क धरोहर राशि के ड्राफ्ट आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के स्वीकार्य नहीं होंगे। समस्त संलग्न प्रमाण पत्र स्वसत्यापित किया जाना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित लाटरी, प्रक्रिया एवं शर्तें जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, चम्पावत एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी,  
चम्पावत

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, चम्पावत।

3. जिला सूचना अधिकारी, चम्पावत उक्त विज्ञप्ति को प्रकाशित करने का कष्ट करें।

4. दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस आशय के सूत्र प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम निर्धारित दरों पर अनिवार्य रूप से दिनांक 14.03.2024 को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड अंक में प्रकाशित करे।

जिला आबकारी अधिकारी,  
चम्पावत।